

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 53 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 2458/वि0का0/2010-11

लखनऊ :: दिनांक :: 28 अगस्त-2010

विषय **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अनुदान संख्या-83 एस0सी0एस0पी0 मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0-693/26-ब0प्र0/2010-76एसजीएसवाई/09 टीसी-2, दिनांक 18.08.2010(छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0 मद) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7450.00 लाख (रू0 चौहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) में से रू0 743.965 लाख (रू0 सात करोड़ तैंतालिस लाख छियान्बे हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसमें से रू0 516.465 लाख (रू0 पांच करोड़ सोलह लाख छियालिस हजार पांच सौ मात्र) विगत वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 30/31 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु है।

2. योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 30/31 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या-83 एससीएसपी मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 516.465 लाख (रू0 पांच करोड़ सोलह लाख छियालिस हजार पांच सौ मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा ।


3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर माँग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के075/रा025-रा0)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 में आपके जनपद को अब तक आबंटित की धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम 4 में दर्शाया गया है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 175 पर कर ली गई है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 2458/वि0का0/2010-11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1/2 उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-3/6 उ0प्र0 शासन।
11. सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-693/26-ब0प्र0/2010-76एसजीएसवाई/09 टीसी-2 दिनांक 18.08.2010 के सन्दर्भ में।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 2458/वि0का0/2010-11

दिनांक : 28 अगस्त, 2010 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान सं0-83 एससीएसपी
मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	1.28	4.93
2	GHAZIABAD	1.34	5.16
3	BULANDSHR	2.87	11.08
4	BAGPAT	0.75	2.87
5	MUZ . NAGAR	3.70	14.26
6	RAMPUR	4.69	18.08
7	J B F NAGAR	3.41	13.15
8	BAREILLY	9.77	37.67
9	AGRA	4.76	18.35
10	FIROZABAD	2.46	9.48
11	MAINPURI	8.14	31.38
12	ETAH	6.58	17.06
13	HATHRAS	2.38	9.18
14	JHANSI	4.74	18.26
15	JALAUN	9.68	27.93
16	LALITPUR	3.64	14.03
17	BANDA	12.26	31.95
18	HAMIRPUR	5.33	20.55
19	MAHOBA	2.33	9.00
20	CHITRAKOOT	4.55	17.55
21	ALLAHABAD	12.52	65.57
22	FATEHPUR	9.71	37.46
23	KAUSHAMBHI	9.83	37.88
24	KANPUR NAGAR	7.95	30.66
25	KANPUR DEHAT	12.14	46.82
26	ETAWAH	6.17	23.79
27	FURRUKHABAD	6.20	23.91
28	KANNAUJ	4.64	17.88
29	ORRIYA	6.83	26.33
30	VARANASI	5.72	22.07
31	GHAZIPUR	14.16	54.58
32	JAUNPUR	14.63	56.43
33	CHANDAULI	7.62	29.37
34	MIRZAPUR	13.98	53.89
35	SONBHADRA	14.91	57.51



पत्रांक : 2458/वि०का०/2010-11

दिनांक : 28 अगस्त, 2010 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान सं०-83 एससीएसपी
मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
36	LUCKNOW	8.87	34.20
37	UNNAO	43.855	100.865
38	HARDOI	23.29	89.80
39	RAEBAREILLY	21.04	81.14
40	GORAKHPUR	13.91	53.64
41	KUSHINAGAR	17.90	69.01
42	BASTI	11.07	42.70
43	SIDHART NAGAR	9.50	36.62
44	SANT K NAGAR	8.87	34.22
45	AZAMGARH	13.08	50.42
46	MAU	7.80	30.10
47	BALLIA	12.67	48.84
48	FAIZABAD	9.14	35.25
49	SULTANPUR	19.59	75.53
50	AMBEDKAR NGR	12.19	46.99
51	GONDA	14.78	56.98
52	BAHRAICH	21.02	81.02
53	BALRAMPUR	6.22	23.98
State Total ::		516.465	

(रू० पाँच करोड़ सोलह लाख छियालिस हजार पाँच सौ मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

✓ आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग	
उत्तर प्रदेश	
दिनांक	28-10
क्रमांक	5370/BA/CPD/10
पत्रांक	230/10

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 18 अगस्त, 2010

विषय:- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अनुदान संख्या-83 एस0सी0एस0पी0 मद में राज्यांश अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1554/वि0का0/2009 दिनांक 14.5.2010, पत्र संख्या-1872/वि0का0/2009, दिनांक 22 जून, 2010 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-342/26-ब0प्र0-2010-76एसजीएसवाई/09टीसी-2 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से वर्ष 2009-10 के लिये प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष शार्टफाल राज्यांश की मैचिंग धनराशि ₹0 516.465 लाख (₹0 पांच करोड़ सोलह लाख छियालिस हजार पांच सौ मात्र) तथा वर्ष 2010-11 के लिये प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि ₹0 227.50 लाख (₹0 दो करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि ₹0 743.965 लाख (₹0 सात करोड़ तैलिस लाख छियाब्बे हजार पांच सौ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा ।
- 2- स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रांश के सापेक्ष ही किया जायेगा ।
- 3- स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा ।
- 4- धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा । धनराशि के आहरण व वितरण के लिये सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे । यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ को प्रापत कराई जायेगी ।
- 5- अवमुक्त की जा रही धनराशि में से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि जनपदों को उपलब्ध कराई जायेगी जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सके। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा ।
- 6- केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2011 को समर्पित कर दी जायेगी।
- 7- यह धनराशि आहरित / व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।
- 8- आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26.3.2010 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।


.....2/-

आयुक्त (लेटर) /
ग्राम्य विकास (SASV)
20.8.2010
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास उ0 प्र0

20/8/10

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-“2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ-01-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के.75/रा.25-रा) - 27-सब्सिडी” के नामे डाला जायेगा ।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1335/दस-2010 दिनांक 12 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,



(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव ।

संख्या- 693 (1)/26-ब0प्र0-2010-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम विकास, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- राज्य योजना आयोग-1/2, नियोजन अनुभाग-3
- 9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,


(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 58 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 2459/वि0का0/2010-11

लखनऊ :: दिनांक :: 28 अगस्त-2010

विषय

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अनुदान संख्या-83 एस.सी.एस.पी. मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

शासनादेश सं0-693/26-ब0प्र0/2010-76एसजीएसवाई/09 टीसी-2, दिनांक 18.08.2010(छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0 मद) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7450.00 लाख (रू0 चौहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) में से रू0 743.965 लाख (रू0 सात करोड़ तैंतालिस लाख छियान्नबे हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसमें से रू0 227.50 लाख (रू0 दो करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष है।

2. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या-83 एससीएसपी मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 227.50 लाख (रू0 दो करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा ।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।


4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के075/रा025-रा0)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 में आपके जनपद को अब तक आबंटित की धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम 4 में दर्शाया गया है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ०प्र० इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं० 175 पर कर ली गई है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवेदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 2459 / वि०का० / 2010-11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3 / वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1 / 2 उ०प्र० शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-3 / 6 उ०प्र० शासन।
11. सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन को उनके पत्र संख्या-693 / 26-ब०प्र० / 2010-76एसजीएसवाई / 09 टीसी-2 दिनांक 18.08.2010 के सन्दर्भ में।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. उप सचिव (एस०जी०एस०वाई०), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष २०१०-११ के लिए अनुदान सं०-८३ एससीएसपी
मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
१	२	३	४
१	MEERUT	०.५७	५.५०
२	GHAZIABAD	०.७१	५.८७
३	BULANDSHR	१.७४	१२.८२
४	BAGPAT	०.४६	३.३३
५	SAHARANPUR	४.२४	२०.९७
६	MUZ . NAGAR	२.०८	१६.३४
७	MORADABAD	६.१४	२०.०५
८	BIJNOR	२.९०	२३.८४
९	RAMPUR	४.८४	२२.९२
१०	J B F NAGAR	२.६०	१५.७५
११	BAREILLY	५.१४	४२.८१
१२	BADAUN	५.६९	३५.४०
१३	SHAHJAHANPUR	४.१६	३९.१८
१४	PILIBHIT	५.०६	२४.३८
१५	AGRA	१.७६	२०.११
१६	FIROZABAD	१.८९	११.३७
१७	MAINPURI	२.२९	३३.६७
१८	MATHURA	१.११	९.१४
१९	ALIGARH	१.९०	१२.५४
२०	ETAH	०.६०	१७.६६
२१	K.RAM NAGAR	०.४७	८.८०
२२	HATHRAS	१.२२	१०.४०
२३	JHANSI	२.०२	२०.२८
२४	JALAUN	३.९९	३१.९२
२५	LALITPUR	१.५३	१५.५६
२६	BANDA	३.१३	३५.०८
२७	HAMIRPUR	२.२४	२२.७९
२८	MAHOBA	१.३५	१०.३५
२९	CHITRAKOOT	३.८५	२१.४०
३०	ALLAHABAD	७.३३	७२.९०
३१	FATEHPUR	२.१२	३९.५८
३२	KAUSHAMBHI	४.२३	४२.११
३३	KANPUR NAGAR	६.०६	३६.७२
३४	KANPUR DEHAT	४.९६	५१.७८
३५	ETAWAH	४.८४	२८.६३
३६	FURRUKHABAD	३.०१	२६.९२
३७	KANNAUJ	३.००	२०.८८



पत्रांक २५५१/वि०का०/२०१०-११

दिनांक : २४ अगस्त, २०१० का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष २०१०-११ के लिए अनुदान सं०-८३ एससीएसपी
मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
१	२	३	४
38	ORRIYA	2.05	28.38
39	VARANASI	3.32	25.39
40	GHAZIPUR	6.04	60.62
41	JAUNPUR	6.31	62.74
42	CHANDALI	7.60	36.97
43	MIRZAPUR	6.23	60.12
44	SANT R. NAGAR	2.15	11.09
45	LUCKNOW	3.78	37.98
46	SITAPUR	10.08	75.29
47	UNNAO	4.170	105.035
48	HARDOI	9.72	99.52
49	LAKHIMPUR KHERI	7.56	68.58
50	RAEBAREILLY	8.35	89.49
51	GORAKHPUR	4.81	58.45
52	DEORIA	2.23	28.32
53	KUSHINAGAR	9.90	78.91
54	MAHRAJGANJ	5.07	25.41
55	BASTI	4.34	47.04
56	SIDHART NAGAR	5.59	42.21
57	SANT K NAGAR	4.67	38.89
58	AZAMGARH	2.30	52.72
State Total ::		227.50	

(रू० दो करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)

अपर आयुक्त (लेखा)

ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।